

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन/हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्योदश सं०- 26, दिनांक- 26.06.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

कंडिका-03 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर निगम, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।

2. उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित नगर निगम, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

3. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

(Handwritten Signature)

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक 2ब०/गै०यो०-19-03/2012 3997 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-20/07/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त संबंधित प्रमंडल, संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई० मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)

सरकार के विशेष सचिव।

506

पत्रांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012

26

/न०वि०एवंआ०वि०

*ई-मेल

स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 26/06/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत कुल 54 नगर प्रबंधकों को प्रति माह ₹40,000.00 (चालीस हजार रु०) मात्र की दर से 03 माह के मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹64.80000 लाख (चौसठ लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत 54 नगर प्रबंधकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय कार्यालय आदेश सं०- 89-सह-पठित ज्ञापांक- 1084, दिनांक- 13.02.2019 के आलोक में प्रति माह ₹40,000.00 (चालीस हजार रु०) मात्र की दर से 03 माह के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹64.80000 लाख (चौसठ लाख अस्सी हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	मानदेय दिये जाने की माह की संख्या	स्वीकृत मानदेय की राशि (4*5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, बिहारशरीफ	1	40,000.00	3	1,20,000.00
2	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
3	नगर निगम, पूर्णियाँ	1	40,000.00	3	1,20,000.00
4	नगर निगम, कटिहार	1	40,000.00	3	1,20,000.00
5	नगर निगम, मुंगेर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
6	नगर निगम, बेगूसराय	1	40,000.00	3	1,20,000.00
7	नगर निगम, भागलपुर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
8	नगर निगम, छपरा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
9	नगर निगम, दरभंगा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
योग (क)		9	3,60,000.00	27	10,80,000.00
10	नगर परिषद, बाढ़	1	40,000.00	3	1,20,000.00
11	नगर परिषद, मोकामा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
12	नगर परिषद, बख्तियारपुर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
13	नगर परिषद, फतुहा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
14	नगर परिषद, खगोल	1	40,000.00	3	1,20,000.00
15	नगर परिषद, फुलवारीशरीफ	1	40,000.00	3	1,20,000.00

5705

16	नगर परिषद, मसौड़ी	1	40,000.00	3	1,20,000.00
17	नगर परिषद, दानापुर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
18	नगर परिषद, हिलसा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
19	नगर परिषद, सासाराम	1	40,000.00	3	1,20,000.00
20	नगर परिषद, डेहरी डालमियानगर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
21	नगर परिषद, बिक्रमगंज	1	40,000.00	3	1,20,000.00
22	नगर परिषद, बक्सर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
23	नगर परिषद, अरवल	1	40,000.00	3	1,20,000.00
24	नगर परिषद, भभुआ	1	40,000.00	3	1,20,000.00
25	नगर परिषद, औरंगाबाद	1	40,000.00	3	1,20,000.00
26	नगर परिषद, दाउदनगर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
27	नगर परिषद, जहानाबाद	1	40,000.00	3	1,20,000.00
28	नगर परिषद, नवादा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
29	नगर परिषद, मोतिहारी	1	40,000.00	3	1,20,000.00
30	नगर परिषद, रक्सौल	1	40,000.00	3	1,20,000.00
31	नगर परिषद, ढाका	1	40,000.00	3	1,20,000.00
32	नगर परिषद, बगहा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
33	नगर परिषद, नरकटियागंज	1	40,000.00	3	1,20,000.00
34	नगर परिषद, हाजीपुर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
35	नगर परिषद, सिवान	1	40,000.00	3	1,20,000.00
36	नगर परिषद, गोपालगंज	1	40,000.00	3	1,20,000.00
37	नगर परिषद, मधुबनी	1	40,000.00	3	1,20,000.00
38	नगर परिषद, सहरसा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
39	नगर परिषद, मधेपुरा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
40	नगर परिषद, सुपौल	1	40,000.00	3	1,20,000.00
41	नगर परिषद, अररिया	1	40,000.00	3	1,20,000.00
42	नगर परिषद, जमालपुर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
43	नगर परिषद, खगड़िया	1	40,000.00	3	1,20,000.00
44	नगर परिषद, लखीसराय	1	40,000.00	3	1,20,000.00
45	नगर परिषद, बांका	1	40,000.00	3	1,20,000.00
46	नगर परिषद, किशनगंज	2	80,000.00	3	2,40,000.00
योग (ख)		38	15,20,000.00	111.00	45,60,000.00
47	नगर पंचायत, खुशरूपुर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
48	नगर पंचायत, राजगीर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
49	नगर पंचायत, कोईलवर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
50	नगर पंचायत, नवीनगर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
51	नगर पंचायत, डुमरा	1	40,000.00	3	1,20,000.00
52	नगर पंचायत, शिवहर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
53	नगर पंचायत, सोनपुर	1	40,000.00	3	1,20,000.00
योग (ग)		7	2,80,000.00	21	8,40,000.00
योग (क+ख+ग)		54	21,60,000.00	159.00	64,80,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹64.80000 लाख (चौसठ लाख अस्सी हजार रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

2. विभागीय आदेश सं०- 1335, दिनांक- 27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को ₹30,300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सतर रु०) किया गया था। पुनः विभागीय कार्यालय आदेश सं०- 89-सह-पठित ज्ञापांक- 1084, दिनांक- 13.02.2019 द्वारा

नगर प्रबंधकों का मासिक मानदेय ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सतर रु०) से बढ़ाकर ₹40,000.00 (चालीस हजार रु०) किया गया है। बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान फरवरी, 2019 से किया जा रहा है।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत) के संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक/RTGS द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

6. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. उक्त स्वीकृत राशि ₹64.80000 लाख (चौसठ लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 09 के स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹10.80000 लाख (दस लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0015-नगर प्रबंधको हेतु, विपत्र कोड सं०- 48-2217801910015, विषय शीर्ष- 015.31.04-सहायक अनुदान-वेतन से की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 10 से 46 के स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹45.60000 लाख (पैंतालीस लाख साठ हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों

को सहायता, उप शीर्ष- 0008-नगर प्रबंधको हेतु, विपत्र कोड सं- 48-2217801920008, विषय शीर्ष- 0008.31.04- सहायक अनुदान-वेतन से की जाएगी।

(ग) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 47 से 53 के स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹8.40000 लाख (आठ लाख चालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0007-नगर प्रबंधको हेतु, विपत्र कोड सं- 48-2217801930007, विषय शीर्ष- 0007.31.04-सहायक अनुदान-वेतन से की जाएगी।

9. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/गै०यो०-19-03/2012 के पृष्ठ सं०-142/टि० पर दिनांक-25.6.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-143/टि० पर दिनांक-25.6.19 को प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद एवं नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
26.06.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 26 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-26-6-19

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद एवं नगर पंचायत/नगर प्रबंधक, संबंधित नगर निकाय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

26.06.19
सरकार के विशेष सचिव।